# मुख्यमंत्री ने की श्रीराम पथ गमन निर्माण की समीक्षा

## सभी विभागों के विभाग प्रमुख रहे मौजूद

नवभारत न्यूज

**पन्ना 4 अक्टूबर। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में श्रीराम पथ गमन कार्य योजना की समीक्षा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधा के दृष्टिगत प्राथमिकता से कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय और तालमेल के साथ प्रभावी कार्यवाही करें।**

समयबद्ध योजना के अनुसार आवंटित राशि का समुचित उपयोग करें और प्रबंधन कर सभी निर्माणाधीन कार्य समय-सीमा में पूरे करें। इस अवसर पर कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी व्हीसी कक्ष में नवागत कलेक्टर ऊषा परमार भी

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल हुईं। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रीराम पथ गमन निर्माण से पहले परिक्रमा पथ तैयार किया जाए, इससे देश-विदेश के पर्यटकों के बीच चित्रकूट का व्यापक प्रचार होगा। उन्होंने कहा कि चित्रकूट के घाटों पर पर्यटकों को आध्यात्मिक अनुभव होना चाहिए और हमारे सभी प्रयास इसी दिशा में आगे बढ़ने चाहिए। अपर मुख्य सचिव संस्कृति एवं पर्यटन ने जानकारी दी कि संस्कृति विभाग द्वारा मंत्रिपरिषद के निर्णय के अनुरूप श्रीराम पथ गमन क्षेत्र के समग्र विकास के लिए श्रीराम पथ गमन न्यास का गठन किया गया है। इस न्यास में 33 सदस्य हैं, जिसमें 28 पदेन न्यासी एवं 5 अशासकीय न्यासी सदस्य की नियुक्ति 3 वर्ष के लिए की गई है। ये अशासकीय सदस्य श्रीराम के जीवनकाल संबंधी शोध से जुड़े विद्वत सदस्य हैं। न्यास में 5 विशेषज्ञों की भी नियुक्ति की जाएगी। मध्यप्रदेश में श्रीराम पथ गमन क्षेत्र अंतर्गत आरंभिक रूप से 9 जिलों के अंतर्गत 23 स्थान चिन्हित किए गए हैं। कार्ययोजना में इन चिन्हित 23 स्थलों की विकास कार्ययोजना प्रारूप, कॉन्सेप्ट मास्टर प्लान, वास्तुविद डिजाइन, ड्रॉइंग्स इत्यादि के निर्धारण हेतु म.प्र. पर्यटन विकास निगम द्वारा निविदा प्रक्रियाधीन है। पन्ना के बृहस्पति कुंड में 7.96 करोड़ की लागत से विकास कार्य एवं कैंटिलीवर ग्लास ब्रिज का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। अगस्त्य मुनि आश्रम पन्ना में 3.95 करोड़ की लागत से विकास कार्य पूरे हो चुके हैं।

# नवागत कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई जिला टॉस्क फोर्स समिति की बैठक

नवभारत न्यूज

**पन्ना 4 अक्टूबर। नवागत कलेक्टर ऊषा परमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में शुक्रवार की शाम बाल एवं कुमार श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 के तहत गठित जिला टॉस्क फोर्स समिति की बैठक हुई। इस अवसर पर कलेक्टर श्रीमती परमार ने श्रम विभाग सहित अन्य संबंधित विभाग व संस्थाओं के अधिकारी एवं प्रतिनिधियों को बाल एवं बंधक श्रमिकों के जनजागरण व पुनर्वास के लिए वांछित कार्यवाही के निर्देश दिए।**

उन्होंने कहा कि समन्वित प्रयास कर निर्धारित प्रावधानों के तहत बाल श्रम कुप्रथा पर रोकथाम की कार्यवाही करें। ऐसे श्रमिकों की पहचान कर इनके विमुक्ति व बेहतर पुनर्वास की कार्ययोजना बनाएं। निजी संस्थानों के नियमित निरीक्षण व निगरानी के जरिए लापरवाह नियोजकों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करें। साथ ही बंधक श्रमिकों के शोषण पर रोकथाम के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में पलायन रजिस्टर का संधारण भी किया जाए।

कलेक्टर श्रीमती परमार ने कहा कि बंधक से मुक्त कराए गए श्रमिकों को तात्कालिक सहायता प्रदान की जाए। इसके अलावा बैठक में सतर्कता समिति के कर्त्तव्यों, नवीन केन्द्रीय बंधक श्रम पुनर्वास योजना 2021, एसओपी तथा बंधक श्रम उन्मूलन की कार्ययोजना सहित बंधक श्रमिक की प्रथा पर रोकथाम के लिए नियमित रूप से जिला व उपखंड स्तरीय समितियों की बैठक आयोजित करने, विशेष अभियान के माध्यम से बंधक श्रमिक की पहचान, स्वास्थ्य परीक्षण एवं जरूरी चिकित्सा लाभ, शासन की विभिन्न योजनाओं में लाभांवित करने तथा व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार के संबंध में भी चर्चा की गई।

# कलेक्टर ने शरद पूर्णिमा पर्व की व्यवस्थाओं का लिया जायजा

नवभारत न्यूज

**पन्ना 4 अक्टूबर। कलेक्टर ऊषा परमार ने सोमवार, 6 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा पर्व एवं प्रणामी सम्प्रदाय के अन्य उत्सवों के दृष्टिगत शनिवार की शाम स्थानीय प्राणनाथ मंदिर पहुंचकर आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लिया।**

इस दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा सहित पर्व के मद्देनजर की जाने वाली अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में अधिकारियों एवं मंदिर समिति के पदाधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया। निरीक्षण के दौरान मंदिर परिसर के अलग-अलग गेट से प्रवेश व निकास व्यवस्था सहित वाहन पार्किंग, निर्धारित परिधि में पूजन सामग्री दुकान के संचालन तथा सीसीटीव्ही कैमरा के माध्यम से व्यवस्थाओं की निगरानी सहित मंदिर के बाह्य परिसर में एलईडी स्क्रीन के माध्यम से कार्यक्रम के लाइव टेलीकास्ट तथा श्री जी की सवारी के दौरान बेहतर प्रबंध और लंगर व बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के ठहरने की जरूरी व्यवस्थाओं के संबंध में निर्देशित किया गया।

# पुलिस अधीक्षक ने प्रशस्ति पत्र देकर राहगीर को किया पुरस्कृत

## सड़क में घायल व्यक्ति की मदद पर मिला सम्मान

नवभारत न्यूज

**पन्ना 4 अक्टूबर। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी गाईडलाइन व पुलिस मुख्यालय पीटीआरआई भोपाल के आदेशानुसार राहवीर योजना के तहत सड़क दुर्घटनाओं में गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को गोल्डन आवर में नजदीकी अस्पताल, ट्रामा सेंटर पहुंचाकर मदद करने वाले राहवीर व्यक्ति नगद राशि एवं प्रशस्ति-पत्र देकर पुरुष्कृत किए जाने का प्रावधान है।**

इसी अनुक्रम में पुलिस अधीक्षक पन्ना श्रीमती निवेदिता नायडू द्वारा समस्त थाना प्रभारियों को राहवीर योजना अंतर्गत सड़क दुर्घटनाओं में गंभीर रूप से पीडित व्यक्तियों को गोल्डन आवर में नजदीकी अस्पताल, ट्रामा सेंटर पहुंचाकर मदद करने वाले व्यक्तियों को नगद राशि एवं प्रशस्ति-पत्र

दिलाये जाने हेतु दिशा निर्देश दिए गये हैं। दिनांक 24 सितंबर राहगीर मोहन यादव निवासी पन्ना द्वारा मोबाईल फोन से यातायात आरक्षक 512 उमाशंकर को बताया कि,मैं अपनी मोटर साईकिल से मोहन निवास चौराहा से डायमंड तिराहा जा रहा था तभी पन्ना-छत्तरपुर रोड एनएच 39 पर एक ट्रक नम्बर एमपी-19 एचए-5650 बहुत तेज रफ्तार एवं लहराता हुआ आया और मैरी मोटर साईकिल में टक्कर मारने ही बाला था कि मैने एकदम से अपनी गो0सा0को सडक से नीचे उतार ली मेरे साथ समान रुप से चल रही दूसरी मो0सा0 वाले ने भी अपनी मो0सा0 सड़क से नीचे उतार ली तब जाकर हम लोग बच पाये। सूचना समय यातायात पुलिस द्वारा इन्टरसेप्टर वाहन के साथ बुंदेली ढावा के पास पन्ना छतरपुर रोड पर वाहन चेंकिग की जा रही थी। जिसे यातायात पुलिस ने तत्पुरता व सूझबूझ के साथ ट्रक को रोककर चालक को उतारा तो उसके मुह से शराब की बहुत गंध आ रही थी, जिसे बीथ ऐनालाईजर मशीन द्वारा चौक करने पर शराब पीने की पुष्टि हुयी जाकर ट्रक चालक के विरुद्ध कार्यवाही की गई। उपरोक्त दुर्घटना को रोकने में मोहन यादव निवासी मोहन निवास पन्ना (म.प्र.) का अहम योगदान है,यदि समय से सूचना प्राप्त न होती तो निश्चित ही यह ट्रक चालक आगे चलकर कही गंभीर सड़क दुर्घटना घटित कर देता। इस प्रकार से सूचना देकर पुलिस सहयोग करने वाले व्यक्ति निश्चित ही प्रशंसा के पात्र हैं।

राहवीर मोहन यादव निवासी मोहन निवास पन्ना (म.प्र.) के उत्साहबर्धन हेतु पुलिस अधीक्षक पन्ना श्रीमती निवेदिता नायडू द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यलय में बुलाकर प्रशस्ति प्रत्र देकर सम्मानित किया गया।

# धरमपुर में हुआ दंगल का आयोजन

नवभारत न्यूज

**अजयगढ़/पन्ना 4 अक्टूबर। ग्राम पंचायत धरमपुर में शुक्रवार को पारंपरिक दंगल प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया।**

जिसमे ग्रामीण अंचलों से आये पहलवानों ने दमखम और कुश्ती के रोमांचक दांव-पेच दिखाये वहीं दंगल को देखने के लिये हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी। इस अवसर पर पन्ना विधायक बृजेंद्र प्रताप सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और कहा कि ग्रामीण खेल हमारी परंपरा और संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इस तरह के आयोजन युवाओं में खेल भावना और अनुशासन का संचार करते हैं। कार्यक्रम में आसपास के क्षेत्रों से आए नामी पहलवानों ने अखाड़े में अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया। इसके पश्चात विजेताओं को सम्मानित किया गया और आयोजकों को सफल आयोजन के लिए बधाई दी गई।

# वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह के उपलक्ष्य में विविध गतिविधियाँ

नवभारत न्यूज

**पन्ना 4 अक्टूबर। दिनांक 04 अक्टूबर को दक्षिण पन्ना वनमंडल में वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह 2025 के अवसर पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इनका उद्देश्य बच्चों, ग्रामीणों और समिति सदस्यों को वन एवं वन्य प्राणियों के महत्व के प्रति जागरूक करना तथा मानव और जीवों के सह-अस्तित्व की भावना को बढ़ावा देना रहा। रैपुरा परिक्षेत्र में शासकीय प्राथमिक शाला सुर्रा एवं दोबा में सामग्री और फुटबॉल वितरित किए गए।**

बच्चों को स्वास्थ्य, खेलकूद तथा वन्य प्राणियों की सुरक्षा पर संदेश दिए गए और साहित्य निकेतन स्कूल में जैव विविधता के महत्व की जानकारी दी गई। ग्राम बघवार में मानव-जीव सह-अस्तित्व पर चर्चा कर बच्चों को प्रेरित किया गया। इसके अलावा रैपुरा परिक्षेत्र में जुलूस भी निकाला गया। पवई परिक्षेत्र के माध्यमिक शाला ईटाय में चित्रकला प्रतियोगिता और जैव विविधता क्विज का आयोजन किया गया।

बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और प्रतिभागियों को रंगीन पेन, पेंसिल, ड्राइंग बुक, बैग एवं चॉकलेट प्रदान किए गए। शाहनगर परिक्षेत्र में ग्राम गंजदा/बोरी और महेवा में जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। ग्रामीणों और समिति सदस्यों को वन्य प्राणियों के शिकार से बचने, बांस आधारित शिल्प से रोजगार बढ़ाने और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने का संदेश दिया गया। सरस्वती विद्या मंदिर के बच्चों ने वन्य जीव की सुरक्षा हम करेंगे जैसे नारे लगाते हुए रैली निकाली। मोहन्द्रा परिक्षेत्र के शासकीय हाई स्कूल मडवा में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। बच्चों को जैव विविधता एवं वनों के महत्व पर विस्तार से समझाया गया।

सलेहा परिक्षेत्र की ग्राम वन समिति खभरी में चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई। विजेताओं को पुरस्कार स्वरूप लंच बॉक्स और वॉटर बॉटल वितरित किए गए तथा ग्रामीणों को बांस की चटाई भी प्रदान की गई। इस अवसर पर एसडीओ कल्दा नितिन निगम, परिक्षेत्र अधिकारी जीतू सिंह बघेल, उपस्थित रहे।

कल्दा परिक्षेत्र के शासकीय माध्यमिक विद्यालय जुर्सिहा में भी विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं ग्रामवासियों ने भाग लिया। मानव- वन्यप्राणी सह-अस्तित्व को केंद्र में रखते हुए वनों और वन्य प्राणियों के महत्व पर चर्चा की गई। बच्चों ने संकल्प लिया कि वे अपने घर, गली और मोहल्लों में भी वन्य प्राणी संरक्षण का संदेश पहुँचाएंगे। कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों को स्कूल बैग वितरित किए गए।

# राजस्व अधिकारी लंबित प्रकरणों का निराकरण करें : ऊषा

## कलेक्टर ने सभी को एक महीने का समय दिया

नवभारत न्यूज

**पन्ना 4 अक्टूबर। कलेक्टर ऊषा परमार ने कहा है कि सभी राजस्व अधिकारी अभियान चलाकर एक माह में लंबित राजस्व प्रकरणों का अधिकतम निराकरण कर अपेक्षित प्रगति लाना सुनिश्चित करें। आम जनता के हित में न्यायोचित निर्णय लिया जाए। विभिन्न स्तर पर जारी होने वाली रैंकिंग में भी सुधार परिलक्षित हो।**

नवागत जिला कलेक्टर ने शनिवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सम्पन्न हुई राजस्व आधिकारियों की समीक्षा बैठक में उक्ताशय के निर्देश दिए। उन्होंने समीक्षा बैठक में कहा कि किसी भी स्तर पर राजस्व प्रकरण लंबित न रहें। पुलिस अधिकारियों के साथ नियमित समन्वय के जरिए कानून व्यवस्था की स्थिति की मॉनिटरिंग भी सुनिश्चित हो। कलेक्टर ने अनुविभाग एवं तहसीलवार लंबित प्रकरणों के निराकरण की जानकारी भी ली। साथ ही सजग रहकर पदीय दायित्वों के निर्वहन तथा राजस्व न्यायालय की व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर मूल कार्य पर अनिवार्य रूप से फोकस करने की सलाह भी दी। उन्होंने लंबित प्रकरणों के निराकरण में आने वाली समस्याओं की जानकारी ली।

साथ ही नामांतरण, बंटवारा सहित राजस्व संबंधी अन्य प्रकरणों को अविलंब निराकृत करने के निर्देश भी दिए। सभी राजस्व अधिकारियों को प्रत्येक प्रकरणों का गहन परीक्षण करने के सख्त निर्देश भी दिए गए।

जिला कलेक्टर द्वारा सायबर तहसील 2.0 की समस्याओं के निराकरण, शासन संधारित मंदिरों की कृषि योग्य भूमि की नीलामी, जनसुनवाई, सीएम हेल्पलाइन तथा लोकसेवा गारंटी के प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण तथा भू-अभिलेख के डिजिटाईजेशन सहित फॉर्मर रजिस्ट्री एवं स्वामित्व योजना की प्रगति, राजस्व वसूली कार्य तथा ई-केवायसी के लंबित मामलों के निराकरण के लिए निर्देशित किया।

# कलेक्टर ने उद्यानिकी फसलों का किया अवलोकन

नवभारत न्यूज

**पन्ना 4 अक्टूबर। कलेक्टर ऊषा परमार ने शनिवार को ग्राम पंचायत मनौर के जरुआपुर गांव पहुंचकर उद्यानिकी फसलों की खेती का अवलोकन किया।**

उन्होंने परंपरागत खेती के स्थान पर उद्यानिकी फसलों की खेती करने वाले कृषकों से संवाद कर फसल उत्पादन के संबंध में जानकारी प्राप्त की और स्थानीय कृषकों सुब्रत मलिक, दुर्गा प्रसाद कुशवाहा, मनीराम कुशवाहा, खेमराज कुशवाहा एवं जतिन बढ़ई द्वारा जैविक फसलों के उत्पादन पर सराहना की तथा किसानों के खेत में बैंगन, खीरा, लौकी, परवल और मुनगा एवं पपीता आदि फसलों का जायजा लिया। जिला कलेक्टर ने फसल उत्पादन प्रक्रिया व विधि की जानकारी प्राप्त कर स्थानीय और बाहर के बाजार में इनके विक्रय की जानकारी भी ली। साथ ही कृषि लागत, शुद्ध मुनाफा और फसल उत्पादन में नवीनतम तकनीक के बारे में पूछा। स्थानीय प्रगतिशील किसानों ने जिला कलेक्टर को उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की योजनाओं का लाभ लेकर आधुनिक पद्धति से उद्यानिकी फसलों के उत्पादन की कार्ययोजना के बारे में अवगत कराया। साथ ही कम पानी के बावजूद मल्चिंग और स्प्रिंकलर पद्धति से सीमित क्षेत्र में अधिक उत्पादन व आर्थिक लाभ के बारे में जानकारी दी। उद्यानिकी कृषक सुब्रत ने खेत में निर्मित तालाब के माध्यम से मत्स्य उत्पादन और भविष्य में अन्य नवीन उद्यानिकी फसलों की खेती प्रारंभ करने के बारे में बताया।

# बायपास से कचरा हटवाने का दो दिन मिला समय

नवभारत न्यूज

**पन्ना 4 अक्टूबर। कलेक्टर ऊषा परमार ने नगर पालिका परिषद पन्ना के मुख्य नगर पालिका अधिकारी को शहर के बायपास पर डाले गए कचरे का ढेर हटवाने एवं उक्त सड़क के आसपास के गायों को दो दिवस में गौशाला में शिफ्ट कराने के निर्देश दिए हैं।**

जिला कलेक्टर द्वारा शनिवार को नगर भ्रमण के दौरान नगर के बायपास पर कचरे का ढेर और अधिक संख्या में सड़कों में पशु एवं गौवंश पाए गए थे।

उल्लेखनीय है कि ग्राम सिमरा में कचरा प्रसंस्करण के लिए भूमि का चिन्हांकन किया जा चुका है। पूर्व में निर्देशों के बावजूद अब तक नगर पालिका द्वारा नवीन स्थल पर कचरे के ढेर को शिफ्ट नहीं कराया गया। इसी तरह कलेक्टर कार्यालय द्वारा गत 10 जुलाई को सड़कों से निराश्रित गौवंश के विस्थापन संबंधी जारी आदेश के पालन में नगर पालिका द्वारा इसके क्रियान्वयन में भी लापरवाही बरती गई।

इस पर अनिवार्य रूप से दो दिवस में बायपास का कचरा हटवाकर निर्धारित स्थान पर डलवाने तथा गायों को गौशाला में शिफ्ट कर प्रतिवेदन भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

# दो से अधिक संतान वाले कर रहे शासकीय सेवा, जांच हो जाए तो कईयों पर गिरेगी गाज

## शासन के आदेशों की हो रही खुली अवहेलना, जिम्मेदार मौन

नवभारत न्यूज

**पन्ना 4 अक्टूबर। सामान्य प्रशासन विभाग ने 5 जुलाई 2006 को मध्य प्रदेश राजपत्र एक संशोधन किया था। जिसमें किसी भी व्यक्ति के दो या उससे अधिक संतान होने की स्थिति में उसे अपात्र माने जाने के संबंध में आदेश प्रसारित किया गया था।**

किंतु बताया जा रहा है कि यह आदेश जारी होने व प्रभावशील होने के बाद भी सरकारी विभागों में कई ऐसे कर्मचारियों की नियुक्ति भी हुई और वे वर्तमान समय पर सरकारी विभागों में सेवाएं भी नियमित रूप से दे रहे हैं। किंतु ऐसे कर्मचारियों को न तो चिन्हित किया गया और न ही उनके खिलाफकोई कार्यवाही ही हो पाई।

**इस तरह हुआ था संशोधन:-** राजपत्र में प्रकाशित संशोधन में कहा गया था कि कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से जीवित संतान हैं तथा आगामी प्रसव 6 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये निरर्हित नहीं होगा। इस आदेश के परिपालन में आज तक सरकारी विभागों में दो से अधिक संतानों को परिप्रेक्ष्य में गंभीरता से कोई जांच पड़ताल नहीं हो पाई। यही कारण है कि कई ऐसी नियुक्तियां हो गई और कई ऐसे कर्मचारी सरकारी सेवाओं में कार्यरत हैं जिनकी 26 जनवरी 2001 के बाद दो से अधिक संतानें पैदो हुई। किंतु ऐसे कर्मचारियों ने वास्तविकता को छिपाकर या तो शासन को संतान के संबंध में गलत जानकारी दी अथवा जानकारी होने के बाद भी उनके खिलाफ कोई कार्यवाही ही नहीं हो पाई।

### कई विभागों में मिलेंगे अपात्र कर्मचारी

यदि सरकारी विभागों में जांच हो जाये तो पता चलेगा कि कई ऐसे कर्मचारी पदस्थ हो गये जिनके पूर्व में एक संतान होने के बावजूद 26 जनवरी 2001 के बाद दूसरी व तीसरी संतान भी पैदा हो गई हो। इस तरह की चर्चाएं भी किसी न किसी कर्मचारी को लेकर होती रहती है किंतु उनके खिलाफकार्रवाई इसलिये नहीं होती क्योंकि कोई शिकायत नहीं करता एवं प्रशासन या विभाग स्वयं कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं होता।

### 2001 के बाद हुई नियुक्तियों पर हो जांच

जिस तरह से सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया था उसको देखते हुए अब जांच की आवश्यकता है। यह पता किया जाना चाहिए कि 2001 के बाद जिनकी नियुक्तियां सरकारी विभागों में हुई उनकी जीवित संतानों की संख्या कितनी है। उनके द्वारा विभागों को जो जानकारी दी गई उसमें कितनी संतनों का जिक्र किया गया था। यदि जांच में ऐसा पाया जाता है कि सरकारी विभागों में नियुक्ति कर्मचारियों में जारी आदेश के विपरीत स्थिति मिलती है तो ऐसे मामलों मे कार्रवाई भी होनी चाहिए। किंतु आदेश जारी होने के बाद प्रशासन ऐसे मामलों में कार्रवाई तब तक करता है जब किसी मामले में कोई शिकायत होती है अन्यथा सब कुछ सामान्य तरीके से ही चलता रहता है।